. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 1985/ज्येष्ठ 1, 1907
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 1985/JYAISTHA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 15–ईटीसी (पीएन)/85

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

विषय : 1-7-85 से 31-12-85 तक कपास से बनी बैड-लिनन, ऊन की मानवनिर्मित फाइबर के खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत नार्वे को निर्यात के लिए स्कीम।

मिसिल स. 2/38/85–ई-I :— कुछ वस्त्रों और/या कपास, ऊन और मानव-निर्मित फाइबर से बनी तैयार मदों के 1-1-1985 से 31-12-1985 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राष्ट्रों, कनाड़ा, आस्ट्रिया और स्वीडन को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन निर्यात की स्कीम से संबंधित सार्वजनिक सूचना सं. 24-ईटीसी (पीएन)/84, दिनांक 15 सितम्बर, 1984 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

भारत और नार्वे के बीच द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के निर्णय के परिणामस्वरूप यह स्कीम 1-7-1985 से नार्वे को बैडलिनन के निर्यात के लिये निम्नलिखित आशोधनों की शर्त के अधीन लागू की जाती है :–

आबंटन की पद्धति और मात्रा और आबंटन के भाग

(1) निर्यात के लिये मात्रा के निर्धारण की दो पद्धतियां होंगी अर्थात् "पहले आए, पहले पाए" ठेका आरक्षण पद्धति और पहले आए, पहले पाए तैयार माल पद्धति, और ठेका आरक्षण पद्धति और तैयार माल पद्धति के बीच 2:1 के अनुपात में आबटन होगा।

(2) आबंटन की 1 जुलाई, 1985 से 31 दिसम्बर 19 5 तक की केवल एक अवधि होगी।

सीमा शुल्क द्वारा निकासी

क–प्रतिबन्ध के अधीन मदें

सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या इस उद्देश्य के मनोनीत किसी अन्य उपयुक्त एजेन्सी द्वारा माल की अलग-अलग खेपों के लिये जारी किए गए पोत परिवहन बिलो की मूल और अनुलिपि प्रतियों पर निर्यात हकदारी के प्रमाणन को प्रमाणित करने के बाद पोतलदान की अनुमति पोतलदान के पत्तनों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

ख. हथकरघा उत्पाद

हथकरघा के बैडलिनन के निर्यातों का जहां तक संबंध है पोतलदानों की अनुमति संयुक्त प्रपत्र के भाग–2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

ग. भारत मदों के अंतर्गत आने वाली तैयार वस्तुएं

"भारत मदें", जो भारत के परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद हैं उनके संबंध में नार्वे को निर्यात के लिये अनुमति विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर सीमा शुल्क द्वारा दी जाएगी।

निर्यात प्रमाण–पत्र

श्रेणी 7 के अंतर्गत शक्ति चालित कर्घे और मिल निर्मित बैडलिनन के निर्यात के साथ निर्यात प्रमाणपत्र/उद्गम प्रमाणपत्र होगा जो द्विपक्षी

समझौते में दिए गए नमूने के अनुसार सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोसिल), बम्बई द्वारा या इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा जारी किया जाएगा।

हथकरघा के संबंध में छूट प्रमाणपत्र

हथकरघा के बैडलिनन के संबंध में छूट प्रमाणपत्र वस्त्र समिति द्वारा द्विपक्षीय समझौते में निर्धारित नमूने के अनुसार जारी किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना सं. 24-ईटीसी (पीएन)84, दिनांक 15 सितम्बर, 1984 में दी गई अन्य शर्तें, जहां कहीं संबंधित होंगी, नार्वे को बैडलिनन के निर्यात के लिए भी लागू होंगी।

श्री इन्द्र त्रिपाठी, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 15-ETC(PN)/85

New Delhi, the 22nd May, 1985

Subject : Scheme of exports under CGL-3 of bed-lime made from Cotton, Wool man-made fibres to Norway from 1-7-85 to 31-12-1985.

F. No. 2/38/85-E.I.—Attention is invited to Public Notice No. 24-ETC (PN)/84, dated the 15th September, 1984 regarding Scheme of exports under OGL-3 of certain fabrics and/or made-up items made from cotton, wool and man-made fibres to USA, European Economic Community Member States, Canada, Austria and Sweden from 1-1-1985 to 31-12-1985.

Consequent upon conclusion of a Bilateral Textile Agreement between India and Norway, the scheme is extended to exports of bed-linen to Norway with effect from 1-7-1985 subject to the following modifications :

SYSTEM AND QUANTUM OF ALLOTMENT AND DIVISIONS OF ALLOTMENT YEAR

(i) There will be two systems of allocations of quantity for exports viz. FCFS Contract Reservation System and FCFS Ready Goods System and the allocation will be in the ratio of 2:1 between Contract Reservation System and Ready Goods System.

(ii) There will be only one period of allotment from 1st July, 1985 to 31st December, 1985.

CLEARANCE BY CUSTOMS

1. Products under restraint.—Shipments allowed by Customs authorities at the ports of shipment after certifying the certification of export entitlement of the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Cotton Textile Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom Products.—In so far as exports of handloom bed-linen are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textiles Committee in Part-2 of the combination form.

C. Made-ups falling under India Items.—In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile pfoducts of India, shipmens will be permitted by the Customs for exports to Norway on the basis of appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

EXPORT CERTIFICATE

Exports of bed-linen of Powerloom and Mill-made under Cat. 7 shall be accompanied by an Export Certificate/Certificate of Origin which will be issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Bombay or any other body duly authorised in this behalf, as per specimen given in the bilateral agreement.

HANDLOOM EXEMPT CERTIFICATE

In respect of handloom bed-linen an Exempt Certificate will be issued by the Textiles Committee as per specimen prescribed in the bilateral agreement.

Other conditions as stipulated in Public Notice No. 24/ETC(PN)/84, dated 15th September, 1984 wherever relevant, will also apply to export of bed-linen to Norway.

S. I. TRIPATHI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985